FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0334 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/12/2025 18:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 17/12/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:50 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/12/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/12/2025 18:21:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** PATWAR GHAR LONGEWALA, TEHASIL PILIBANGA, HANUMANGARH

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIKARAMJEET VISHNOI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KRISHANLAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHAK 12.M.O.D.LONGWALA, PILIBANGA, PILIBANGA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHAK 12.M.O.D.LONGWALA, PILIBANGA, PILIBANGA, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAMTA VERMA		पति:MUKESH KUMAR	1. DABLIRATHAN,HANUMANGARH,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 5,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर। विषयः- पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं विक्रमजीत बिश्नोई पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई उम्र 35 साल निवासी ढाणी चक 12 एम.ओ.डी. (लोंगवाला) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ का रहने वाला हूँ। मेरी माताजी श्रीमती राजबाला पत्नी श्री कृष्ण कुमार ने तहसील पीलीबंगा पटवार हल्का लोंगवाला के चक 3 एलजीडब्ल्यू प.न. 42/277(6) व 43/277(7) की 1.012 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 15.04.25 से तथा चक 1 पी.बी.एन. के प.न. 52/290 मु.न. 46 में 493/1797 हिस्सा (करीब 2 बीघा) कमाण्ड भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 22.04.25 से खरीद की थी। जिसका इंतकाल करवाने के लिये मै हमारी हल्का पटवारी ममता से मिला तो उसने मेरे से उक्त दोनो रजिस्ट्रीयों की फोटो कॉपी रख ली, परन्तु इंतकाल नही किया। अब करीब 5-7 दिन पहले जब मै पटवारी ममता से मिला तो उसने मेरे से 20,000/रूपये रिश्वत की मांग की तथा मेरे से 5,000/रूपये रिश्वत के ले लिये। अब मेरे से शेष 15,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रही है। मेरी माताजी गृहणी एवं अनपढ महिला है, जिनको मैने पटवारी द्वारा रिश्वत मांग करने का बताया तो मेरी माताजी ने पटवारी के खिलाफ आपके विभाग में कार्यवाही करवाने के लिये मुझे अधिकृत किया है। मै हल्का पटवारी ममता को अपने जायज काम के लिये रिश्वत नही देकर उसे रंगे हाथो रिश्वत लेते पकड़वाना चाहते है, उससे कोई रंजिश नही है तथा ना ही उससे कोई उधार का लेन देन है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी विक्रमजीत बिश्नोई, निवासी ढाणी चक 12 एम.ओ.डी. (लोंगवाला) तहसील पीलीबंगा मो.न. दिनांक - 09.12.25कार्यवाही पुलिसप्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 09.12.2025 वक्त 11.30 एएम पर परिवादी विक्रमजीत बिश्नोई पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई उम्र 35 साल निवासी ढाणी चक 12 एम.ओ.डी. (लोंगवाला) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ने स्वयं चौकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम पर उपस्थित होकर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, महोदय से मिलकर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी विक्रमजीत से मिलवाकर उनका प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। प्रार्थना में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र अपने परिचित से कम्प्यूटर टाईप करवाना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरी माताजी श्रीमती राजबाला पत्नी श्री कृष्ण कुमार ने तहसील पीलीबंगा पटवार हल्का लोंगवाला के चक 3 एल.जी.डब्ल्यू. प.न. 42/277(6) व 43/277(7) की 1.012 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 15.04.25 से तथा चक 1 पी.बी.एन. के प.न. 52/290 मु.न. 46 में 493/1797 हिस्सा (करीब 2 बीघा) कमाण्ड भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 22.04.25 से खरीद की थी। जिसका इंतकाल करवाने के लिये मै हमारी हल्का पटवारी ममता से मिला तो उसने मेरे से उक्त दोनो रजिस्ट्रीयों की फोटो कॉपी रख ली, परन्तु इंतकाल नही किया। अब करीब 5-7 दिन पहले जब मै पटवारी ममता से मिला तो उसने मेरे से 20,000/रूपये रिश्वत की मांग की तथा मेरे से 5,000/रूपये रिश्वत के ले लिये। अब मेरे से शेष 15,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रही है। मेरी माताजी गृहणी एवं अनपढ महिला है, जिनको मैने पटवारी द्वारा रिश्वत मांग करने का बताया तो मेरी माताजी ने पटवारी के खिलाफ आपके विभाग में कार्यवाही करवाने के लिये मुझे अधिकृत किया है। मै हल्का पटवारी ममता को अपने जायज काम के लिये रिश्वत नही देकर उसे रंगे हाथो रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता हूं। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी श्री विक्रमजीत को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपिया द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मै कल रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। इस पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री धर्मवीर कानि. से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री विक्रमजीत को हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 10.12.25 को वक्त 9.30 एएम पर श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री धर्मवीर कानि. को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री विक्रमजीत से मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु हिदायत कर गांव लोंगवाला की ओर रवाना किया गया। वक्त 6.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री धर्मवीर कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। श्री सुरेन्द्र सिंह ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मेरे को पेश कर बताया कि मै व धर्मवीर

कानि. गांव लोंगवाला तहसील पीलीबंगा में गोपनीय स्थान पर पहूंच वक्त करीब 2.30 पीएम पर परिवादी विक्रमजीत से मिले व परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपिया से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु ग्राम पंचायत भवन लोंगवाला की ओर रवाना कर हम दोनो गोपनीय स्थान पर मुकिम हो गये थे। परिवादी करीब 20 मिनट बाद तहसील कार्यालय से वापस आया एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं ग्राम पंचायत भवन परिसर में पटवारी के कक्ष में जाकर श्रीमती ममता हल्का पटवारी से मिला तो उसने मेरे से काम के सम्बन्ध में बातचीत करते हुये मेरे से 7,000/रूपये रिश्वत के ले लिये तथा पूर्व में लिये 5,000/रूपये स्वीकार करते हुये कुल 12,000/रूपये लेना तथा 5,000/रूपये और रिश्वत की मांग की है तथा काम होने पर फोन करके बुलाने हेतु कहा है। परिवादी ने बताया कि अब पटवारी मुझे रिश्वत राशि लेने के लिये फोन करके बुलायेगी, तब मै आपसे सम्पर्क कर लूंगा, आज मुझे काम है, आईंदा मैं ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर मै व धर्मवीर कानि. लोंगवाला से करीब 3.30 पीएम पर रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये है। जिस पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो परिवादी के उक्त तथ्यों की ताईद हुई। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। आईंदा परिवादी के उपस्थित आने पर रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्डिंग वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। दिनांक 15.12.25 को परिवादी श्री विक्रमजीत ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि आरोपिया पटवारी ने उसे कल रिश्वत राशि सहित बुलाया है, जिस पर परिवादी को कल सुबह 8.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/रूपये सहित उपस्थित आने हेतु हिदायत की गई। वक्त 4.00 पीएम पर दिनांक 16.12.25 को कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्कता होने से अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत श्रीगंगानगर को दो स्वतन्त्र गवाह दिनांक 16.12.25 को सुबह 9.00 एएम भिजवाने हेतु जरिये तहरीर/दूरभाष निवेदन किये जाने पर अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत श्रीगंगानगर द्वारा गवाह श्री साहिबराम निजी सहायक-॥ एवं रोहित पुरोहित क.स. को पाबंद किया गया। दिनांक 16.12.25 वक्त 9.00 एएम पर तलबिदा श्री साहिबराम निजी सहायक-॥ एवं रोहित पुरोहित क.स. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनको गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। दिनांक 16.12.25 को वक्त 10.15 एएम पर परिवादी विक्रमजीत ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया तथा दिनांक 10.12.25 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया। परिवादी ने बताया कि मै आरोपिया को रिश्वत में देने वाली राशि 5,000/रूपये साथ लेकर आया हूं। परिवादी श्री विक्रमजीत का दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री साहिबराम निजी सहायक-॥ एवं रोहित पुरोहित क.स. से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं रिश्वत मांग सत्यापन बाबत बताया गया। दिनांक 10.12.25 को परिवादी श्री विक्रमजीत ने आरोपिया श्रीमती ममता से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु वार्ता कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था जो मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा है। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता सुनकर वार्ता में परिवादी श्री विक्रमजीत ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपिया ममता पटवारी की होना बताया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के कम्प्यूटर के जरिये श्री धर्मवीर कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे० की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क V अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। वक्त 11.30 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री विक्रमजीत ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500/रू के 10 नोट कुल 5,000/-रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है - 1. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5RK 834735, 2. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9FW 653330, 3. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3SF 825285, 4. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4DS 165505, 5. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0UV 126632, 6. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6CA 048209, 7. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7CU 892562, 8. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1TR 492967, 9. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7FA 078764, 10. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5VN 173092उक्त प्रस्तुत नोटो को मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्री मनजीत चलाना कानि. से फिनालपथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त सभी नोटो पर फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री साहिबराम से परिवादी श्री विक्रमजीत की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 5,000/- रूपये के नोटो को श्री मनजीत चलाना कानि. के जरिये परिवादी के पहने कोट के साईड की बांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपिया की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपिया के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपिया को देवे,

आरोपिया को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। परिवादी को आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री मनजीत चलाना कानि. के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया, डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री मनजीत चलाना कानि. के हाथ को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया । गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपिया के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर परिवादी श्री विक्रमजीत को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। दिनांक 16.12.25 वक्त 12.05 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री विक्रमजीत के साथ श्री सुरेन्द्र सिंह कानि., श्री धर्मवीर कानि. को परिवादी की निजी कार से रवाना कर उसके पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री साहिबराम निजी सहायक, श्री रोहित पुरोहित क.स. एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री जगदीश राय मु.आ., श्री राजेश कुमार मु.आ., श्री संजीव कुमार कानि., श्री भवानी सिंह कानि., श्री आशीष कुमार कानि., श्री उपेन्द्र कुमार कानि., श्रीमती वीरपाल कौर म.कानि., श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि. एवं श्री पंकज शर्मा कानि./ड्रा. मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पक्का भादवा से पीलीबंगा रोड़ पर गांव लोंगवाला से पहले गोपनीय स्थान पर पहूंच वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर परिवादी श्री विक्रमजीत ने गोपनीय सूत्रो से मालुमात कर बताया कि अब तक आरोपिया ग्राम पंचायत भवन स्थित अपने कक्ष में नही पहूंची है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के वही गोपनीय स्थान पर मुकिम हुआ। वक्त 02.50 पीएम पर परिवादी श्री विक्रमजीत ने अवगत करवाया कि अभी वक्त 2.45 पीएम पर मेरे मोबाईल नम्बर पर आरोपिया के मोबाईल नम्बर से फोन कर बताया कि मै आज नही आउंगी। इस प्रकार उक्त वार्ता अनुसार ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही है। जिस पर परिवादी को सुपुर्द शुदा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000/रूपये को गवाह श्री रोहित पुरोहित क.स. से परिवादी के कोट की बांयी साईड की जेब से निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेटकर सरकारी गाड़ी के डेशबोर्ड में सुरक्षित रखवाया गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखते हुये परिवादी को हिदायत कर वही से रूख्सत करते हुये मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के मौके से रवाना होकर वक्त 04.30 पीएम ब्यूरो कार्यालय पहूंचा। जहां परिवादी से प्राप्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000/रूपये सरकारी गाड़ी के डेस्कबोर्ड से निकलवाकर श्री मनजीत चलाना कानि. कार्यवाहक मालखाना इंचार्ज के जरिये सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 17.12.25 को तलविदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित आने पर वक्त 12.15 पीएम मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री साहिबराम निजी सहायक, श्री रोहित पुरोहित क.स. एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री जगदीश राय मु.आ., श्री राजेश कुमार मु.आ., श्री संजीव कुमार कानि., श्री भवानी सिंह कानि., श्री आशीष कुमार कानि., श्री उपेन्द्र कुमार कानि., श्रीमती वीरपाल कौर म.कानि., श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि. एवं श्री पंकज शर्मा कानि./ड्रा. मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स तथा रिश्वत में प्रयुक्त राषि 5000/रूपये साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर वक्त 01.30 पीएम पक्का भादवा से पीलीबंगा रोड़ पर गांव लोंगवाला से पहले गोपनीय स्थान पर पहूंच वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर परिवादी श्री विक्रमजीत उपस्थित मिला, जिसकी गवाह श्री रोहित पुरोहित से तलाशी करवायी जाकर उसके पास पहने कपड़ो व कोट तथा मोबाईल के अलावा कुछ भी नही रहने दिया गया। फिर श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. के जरिये रिश्वत राशि 5000/रूपये परिवादी के पहने कोट की बांयी साईड की जेब में रखवाये गये तथा वक्त रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात परिवादी व ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथो को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री विक्रमजीत को धर्मवीर कानि. व सुरेन्द्र सिंह कानि. के साथ उसकी बोलेरो गाड़ी से आरोपिया से सम्पर्क करने ग्राम पंचायत भवन लोंगवाला की रवाना कर उसके पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवाना होकर ग्राम पंचायत भवन लोंगवाला के पास पहूंचा, जहां परिवादी विक्रमजीत ग्राम पंचायत भवन परिसर लोंगवाला में प्रवेश कर चूंका है तथा धर्मवीर कानि. व सुरेन्द्र सिंह कानि. बाहर बोलेरो में मुकिम है, मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 2.50 पीएम पर परिवादी श्री विक्रमजीत ने पंचायत भवन परिसर में बने पटवार घर लोंगवाला से मिसड कॉल से ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के अविलम्ब पटवार घर में कमरे में पहूंचा तो परिवादी ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि ममता पटवारी कमरे के अन्दर अपनी कुर्सी पर बैठी है, जिस पर परिवादी को साथ लेकर कमरे में पहूंचा तो परिवादी ने ईशारा कर बताया कि ममता पटवारी है, जिन्होने मेरे से रिश्वत राशि के 5,000/रूपये अपने हाथ में लेकर अपने पहने स्वेटर की दाहिने साईड की जेब में रख लिये, जिस पर तुरन्त

महिला कानि. श्रीमती वीरपाल कौर एवं श्रीमती गुरप्रीत कौर से उस युवती को काबु किया गया तो वह घबरा गयी, जिसे तसली दी जाकर उस युवती को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम ममता वर्मा पत्नी श्री मुकेश कुमार जाति कुम्हार उम्र 34 साल गांव डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ हाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ होना बताया। फिर ममता पटवारी से परिवादी से सम्बंधित कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब इस विक्रमजीत की माता के नाम से क्रय शुदा भूमि के इंतकाल का काम मेरे पास था, मैने इसे कहा था कि परसो कैम्प में कर देंगे, मैने इससे कोई रिश्वत की मांग नही की, इसने अपने आप ही आज मुझे 5000/रूपये दिये है, जो मेरी स्वेटर की दाहिनी साईड की जेब में रखे है। फिर मौका पर परिवादी विक्रमजीत ने स्वतः ही रूबरू गवाहान बताया कि मेरी माताजी श्रीमती राजबाला पत्नी श्री कृष्ण कुमार ने तहसील पीलीबंगा पटवार हल्का लोंगवाला के चक 3 एल.जी.डब्ल्यू. प.न. 42/277(6) व 43/277(7) की 1.012 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 15.04.25 मे तथा चक 1 पी.बी.एन. के प.न. 52/290 मु.न. 46 में 493/1797 हिस्सा (करीब 2 बीघा) कमाण्ड भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 22.04.25 से खरीद की थी, जिसका इंतकाल करवाने के लिये मै हमारी हल्का पटवारी ममता से मिला तो उसने मेरे मे उक्त दोनो रजिस्ट्रीयों की फोटो कॉपी रख ली, परन्तु इंतकाल नही किया, जब मै पटवारी ममता से मिला तो उसने मेरे से 20,000/रूपये रिश्वत की मांग की तथा मेरे से 5,000/रूपये रिश्वत के ले लिये। अब मेरे से शेष 15,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रही थी, जिस पर मैने दिनांक 09.12.25 को कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र देने पर दिनांक 10.12.25 को आप द्वारा करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में ममता पटवारी ने मेरे से 7,000/रूपये रिश्वत के ले लिये तथा पूर्व में लिये 5,000/रूपये स्वीकार करते हुये कुल 12,000/रूपये लेना तथा 5,000/रूपये और रिश्वत की मांग की है, जो आज मैंने अभी अभी ममता राजस्व पटवारी को दी है, जो इन्होने अपने पहनी स्वेटर की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये है। उक्त घटनाक्रम से परिवादी व आरोपिया ममता राजस्व पटवारी के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपिया के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपिया ममता वर्मा के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो नये पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपिया ममता वर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'आर-1, आर-2' अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपिया ममता वर्मा के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'एल-1, एल-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपिया ममता वर्मा से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने अपने पहनी स्वेटर की दाहिनी साईड की जेब रखे होना बताया, जिस पर श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि. से जैब चैक करवाने पर उसने 500-500/रूपये के नोट निकालकर पेश किये, जो गवाह श्री साहिबराम को दिलवाये गये व दूसरे गवाह रोहित पुरोहित को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने 500-500/रूपये के 10 नोट कुल 5000/रूपये हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। उक्त बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान स्वेटर की दाहिनी साईड की जेब की धुलवाई के लिये एक अलग पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर ममता वर्मा पटवारी के पहनी स्वेटर उतरवायी जाकर उतरवायी गई स्वेटर बरंग ग्रे-व्हाईट की दाहिनी साईड की जेब को उलटवाकर धोवन में डूबोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'पी-1, पी-2' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात स्वेटर की जेब को सुखाकर स्वेटर को एक कपड़े की थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। फिर आरोपिया ममता राजस्व पटवारी से परिवादी विक्रमजीत से के इंतकाल से सम्बंधित दस्तावेजो के सम्बन्ध में पूछा तो उसने बताया कि मेरे द्वारा परिवादी विक्रमजीत की माता राजबाला के नाम से क्रय शुदा भूमि चक 1 पीबीएन व चक 3 एलजीडब्ल्यू के बैयनामो की फोटो प्रति मेरी अलमारी में रखी है, जो निर्देशानुसार निकालकर पेश की तथा बताया कि चक 1 पीबीएन की भूमि का इंतकाल मेरे द्वारा दिनांक 05.12.25 से पूर्व ऑनलाईन दर्ज कर दिया गया था, जो दिनांक 05.12.25 को ग्राम पंचायत की बैठक नही होने के कारण सरपंच ग्राम पंचायत लोंगवाला की आईडी पर ऑनलाईन तस्दीक हेतु पेण्डिग है तथा चक 3 एलजीडब्ल्यू की भूमि का अब तक मेरे द्वारा ऑनलाईन दर्ज नही किया गया है। उक्त दोनो दस्तावेज फोटो प्रति बाद अवलोकन सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया। वक्त 4.00 पीएम पर परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड

वार्ता की लेपटॉप से श्री धर्मवीर कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क "टी" अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। तत्पश्चात आरोपिया ममता वर्मा राजस्व पटवारी पटवार हल्का लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को उसके जुर्मो से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्र.नि.अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की गई। तत्पश्चात अनवान सदर में घटनास्थल ग्राम पंचायत भवन परिसर लोंगवाला मे स्थित पटवार घर पर ट्रेप कार्यवाई के दौरान मन पुलिस निरीक्षक द्वारा मोबाईल से हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि तथा आरोपी से पूछताछ की विडियोग्राफी मोबाईल की Internal Memory में की गई, मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर श्री धर्मवीर कानि. से उक्त विडियोग्राफी को दो अलग अलग 8-8 जीबी के पैन ड्राईव में कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। एक पैन ड्राईव को कपडे की थैली में सील मोहर चिट कर मार्क वी-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया दुसरे पैन ड्राईव पर मार्क वी-2 अंकित को अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। घटनास्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। ट्रेप कार्रवाई विरूद्ध ममता वर्मा हाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ में माल वजह सबूतो को, जिस पीतल की सील न. 15 से सील मोहर चिट किया गया था, उस पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। वक्त 6.00 पीएम पर मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी विक्रमजीत को मौका से आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के गिरफ्तारशुदा आरोपिया ममता वर्मा राजस्व पटवारी एवं जब्तशुदा एवं बरामदशुदा वजह सबूत आदि के सरकारी बोलेरो गाड़ी एवं प्राईवेट कार से रवाना होकर आरोपिया का राजकीय जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर ब्यूरो कार्यालय पहूंच मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 5,000/रू रिश्वत राशि, शील्ड शुदा स्वेटर, शील्डशुदा दो मैमोरी कार्ड, तीन शील्डशुदा पैन ड्राईव आदि श्री मनजीत चलाना कानि. कार्यवाही मु.आ. के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया।इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी विक्रमजीत की माताजी श्रीमती राजबाला पत्नी श्री कृष्ण कुमार ने तहसील पीलीबंगा पटवार हल्का लोंगवाला के चक 3 एल.जी.डब्ल्यू. प.न. 42/277(6) व 43/277(7) की 1.012 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 15.04.25 से तथा चक 1 पी.बी.एन. के प.न. 52/290 मु.न. 46 में 493/1797 हिस्सा (करीब 2 बीघा) कमाण्ड भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 22.04.25 से खरीदशुदा भूमि का इंतकाल दर्ज करने की एवज में परिवादी विक्रमजीत से हल्का पटवारी ममता वर्मा द्वारा 15,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रही थी, जिस पर परिवादी ने दिनांक 09.12.25 को ब्यूरो कार्यालय पर दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.12.25 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में ममता वर्मा पटवारी ने परिवादी से 7,000/रूपये रिश्वत के ले लिये तथा 5,000/रूपये और रिश्वत लेना तय किया। उक्त रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 17.12.25 को परिवादी विक्रमजीत से आरोपिया ममता वर्मा राजस्व पटवारी पटवार हल्का लोंगवाला तहसील पीलीबंगा द्वारा पटवार घर लोंगवाला में 5000/रूपये रिश्वत प्राप्त कर अपने पहनी स्वेटर की दाहिनी साईड की जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना आरोपिया ममता वर्मा राजस्व पटवारी के हाथों एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थान स्वेटर की जेब से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग हल्का गुलाबी, मटमैला एवं गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी ममता वर्मा राजस्व पटवारी पटवार हल्का लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्वारा उक्त पद का लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी विक्रमजीत से 5,000/ रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का घटित होना पाये जाने पर आरोपिया ममता वर्मा पत्नी श्री मुकेश कुमार जाति कुम्हार उम्र 34 साल गांव डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ हाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।(राजेन्द्र कुमार)पुलिस निरीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,श्रीगंगानगर-द्वितीय.............कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती ममता वर्मा पत्नी श्री मुकेश कुमार, जाति कुम्हार, उम्र 34 साल, निवासी गांव डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ, हाल राजस्व पटवारी, पटवार हल्का लोंगवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान

अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 303 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशामन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1890-93 दिनांक 19.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- जिला कलक्टर, हनुमानगढ 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर द्वितीय । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHENDRA KUMAR Rank (पद): निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच** अपने पास में लेने के लिए निर्देश **दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्रायमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क **शिकायतकर्ता को दी गई।)**

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, **Police Station** (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 19/12/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)